कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 304/2026 **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनांक- 04.08.2026**

थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़

अतरौलिया पुलिस की बड़ी सफलता: हैंडपंप चोरी करने वाले 06 अभियुक्त गिरफ्तार, 02 चोरी के हैंडपंप व कल-पुर्जे बरामद

ई-रिक्शा से करते थे हैंडपंप चोरी, अतरौलिया पुलिस ने 06 अभियुक्तों को दबोचा, चोरी का माल बरामद

थाना अतरौलिया पुलिस ने हैंडपंप चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए कुल 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी के 02 हैंडपंप एवं उनके कल-पुर्जे बरामद किए हैं।

दिनांक 03.08.2026 को वादी श्री पतिराम प्रजापति पुत्र गजराज प्रजापति निवासी भीलमपुर छपरा (हाल पता- बड़ा गांव मुबारकपुर), थाना अतरौलिया द्वारा तहरीर दी गई कि दिनांक 02.08.2026 की रात्रि लगभग 10:00 बजे ई-रिक्शा संख्या UP50FT1445 पर सवार छह व्यक्तियों ने उनके घर के बाहर लगा हैंडपंप खोलकर चोरी कर लिया। शोर सुनकर बाहर आने पर आरोपी हैंडपंप लेकर फरार हो गए। अगले दिन वादी ने तीन आरोपियों को चोरी किए गए हैंडपंप एवं ई-रिक्शा सहित पकड़कर पुलिस के सुपुर्द किया तथा बताया कि इन्हीं लोगों द्वारा अन्य स्थानों से भी हैंडपंप चोरी किए गए हैं। तहरीर के आधार पर थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0 305/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।

विवेचना के क्रम में दिनांक 04.08.2026 को उपनिरीक्षक विश्वजीत पाण्डेय मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर कम्पोजित विद्यालय भैरोपुर, कोयलसा के पास से मुकदमे में वांछित तीन अन्य अभियुक्त आशुतोष पाण्डेय, सचिन यादव एवं सूरज मिश्रा को गिरफ्तार किए गए। उनके कब्जे से चोरी के 02 हैंडपंप एवं उनके कल-पुर्जे बरामद हुए। पूछताछ में अभियुक्तों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर हैंडपंप चोरी की घटनाएं कारित करना स्वीकार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 305/2026, धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सचिन पटेल पुत्र उमेश वर्मा, निवासी शेरवा, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़, उम्र 18 वर्ष।
2. एस गौड़ पुत्र विनोद गौड़, निवासी बुढ़नपुर, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़, उम्र 15 वर्ष (बाल अपचारी)।
3. शेरु उर्फ आदित्य सिंह पुत्र जंगबहादुर सिंह, निवासी बुढ़नपुर, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़, उम्र 21 वर्ष।
4. आशुतोष पाण्डेय पुत्र संतोष पाण्डेय, निवासी शेरवा, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़, उम्र 19 वर्ष।
5. सचिन यादव पुत्र वीरेन्द्र यादव, निवासी मुबारकपुर, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़, उम्र 19 वर्ष।
6. सूरज मिश्रा पुत्र पंकज मिश्रा, निवासी बुढ़नपुर, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़, उम्र 18 वर्ष।

बरामदगी-

- 02 हैंडपंप।
- हैंडपंप के कल-पुर्जे।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 विश्वजीत पाण्डेय (चौकी प्रभारी बुढ़नपुर), का0 उमेश कुमार, का0 अजीत कुमार, का0 राजकरन सोनकर एवं रि0का0 उत्कर्ष सिंह, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।

थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़
जमीन विवाद में मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के मामले में 04 नामजद अभियुक्त गिरफ्तार
जीयनपुर पुलिस की त्वरित कार्रवाई, मुकदमा दर्ज होने के बाद चारों अभियुक्तों को किया गिरफ्तार

थाना जीयनपुर पुलिस ने जमीन विवाद में मारपीट, गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है।

दिनांक 03.08.2026 को वादी श्री रामहंस साहनी पुत्र चन्द्रदीप साहनी निवासी ग्राम कोड़रा, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा तहरीर देकर आरोप लगाया गया कि प्रतिवादीगण उनके हिस्से की 06 बिस्वा भूमि अपने नाम कराने का दबाव बना रहे थे। विरोध करने पर अभियुक्तों द्वारा उनके साथ मारपीट, गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0 0332/2026, धारा 115(2)/352/351(3)/119(2) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

उक्त मुकदमे में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 03.08.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक जीयनपुर के निर्देशन में उपनिरीक्षक जाफर खां मय पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित चारों नामजद अभियुक्तों को थाना गेट के बाहर से समय करीब 05:50 बजे गिरफ्तार कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।
पंजीकृत अभियोग-
• मु0अ0सं0 0332/2026, धारा 115(2)/352/351(3)/119(2) बीएनएस, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।
गिरफ्तार अभियुक्त-
1. मैनेजर साहनी पुत्र स्व० चन्द्रदीप साहनी, उम्र 50 वर्ष, निवासी ग्राम कोड़रा, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।
2. मुनीब साहनी पुत्र स्व० चन्द्रदीप साहनी, उम्र 42 वर्ष, निवासी ग्राम कोड़रा, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।
3. रोहित साहनी पुत्र मैनेजर साहनी, उम्र 21 वर्ष, निवासी ग्राम कोड़रा, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।
4. राजकुमारी पत्नी मैनेजर साहनी, उम्र 48 वर्ष, निवासी ग्राम कोड़रा, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-
• मु0अ0सं0 0332/2026, धारा 115(2)/352/351(3)/119(2) बीएनएस, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
उ0नि0 जाफर खां, का0 दीपक सिंह, का0 मेराज अली एवं महिला आरक्षी अर्चना कुशवाहा, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़
जमीन विवाद में मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के मामले में नामजद अभियुक्त गिरफ्तार
जीयनपुर पुलिस की त्वरित कार्रवाई, मुकदमा दर्ज होने के बाद मुख्य अभियुक्त को किया गिरफ्तार

थाना जीयनपुर पुलिस ने जमीन विवाद में मारपीट, गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार किया है।

दिनांक 03.08.2026 को वादिनी श्रीमती प्रेमशीला देवी पत्नी स्व० सुरेश यादव निवासी ग्राम कुदारन तिवारी, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा तहरीर देकर आरोप लगाया गया कि प्रतिवादीगण उनकी भूमि, जो उनके मकान के सामने स्थित है, को मांग रहे थे। भूमि देने से मना करने पर अभियुक्तों द्वारा गाली-गलौज करते हुए मारपीट की गई तथा जान से मारने की धमकी दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0 0334/2026, धारा 115(2)/352/351(3)/119(2) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

दिनांक 04.08.2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा चलाए जा रहे वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक जीयनपुर

के निर्देशन में उपनिरीक्षक मुन्नालाल यादव मय पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित नामजद अभियुक्त हरि प्रसाद उर्फ रामप्रित को उसके घर के बाहर से समय करीब 07:45 बजे गिरफ्तार कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

पंजीकृत अभियोग-

• मु0अ0सं0 0334/2026, धारा 115(2)/352/351(3)/119(2) बीएनएस, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. हरि प्रसाद उर्फ रामप्रित पुत्र स्व० सुखई, निवासी ग्राम कुदारन तिवारी, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

• मु0अ0सं0 0334/2026, धारा 115(2)/352/351(3)/119(2) बीएनएस, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 मुन्नालाल यादव एवं का0 दिनेश राम, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़

किशोरी को शादी का झांसा देकर भगा ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, अपहृता सकुशल बरामद

जीयनपुर पुलिस की प्रभावी कार्रवाई, पॉक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त को दबोचकर अपहृता को किया बरामद

थाना जीयनपुर पुलिस ने नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए अपहृता को सकुशल बरामद कर लिया है।

दिनांक 28.05.2026 को *वादी द्वारा थाना जीयनपुर* पर तहरीर देकर आरोप लगाया गया कि उनकी लगभग 15 वर्षीय पुत्री को शनि पुत्र मगरु निवासी ग्राम पुरुषोत्तमपुर कैथोली, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0 242/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान धारा 65(1) बीएनएस तथा 5(L)/6 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।

दिनांक 03.08.2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा चलाए जा रहे वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक जीयनपुर के निर्देशन में उपनिरीक्षक अमित कुमार वर्मा मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर कंजरा बाजार से मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त शनि पुत्र मगरु को समय करीब 04:05 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर मुकदमे से संबंधित अपहृता को सकुशल बरामद कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

पंजीकृत अभियोग-

• मु0अ0सं0 242/2026, धारा 137(2)/65(1)/87 बीएनएस व 5(L)/6 पॉक्सो एक्ट, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. शनि पुत्र मगरु, निवासी ग्राम पुरुषोत्तमपुर कैथोली, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 21 वर्ष।

बरामदगी-

• मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अपहृता सकुशल बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 अमित कुमार वर्मा, हे0का0 संदीप यादव एवं महिला आरक्षी रीमा सिंह, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़

ऑपरेशन वज्रपात के तहत सोशल मीडिया पर डमी पिस्टल के साथ रील बनाकर दहशत फैलाने वाले युवक पर पुलिस की कार्रवाई

इंस्टाग्राम पर डमी पिस्टल के साथ वीडियो पोस्ट कर आमजन में भय का माहौल बनाने के आरोप में युवक गिरफ्तार

दिनांक 03.08.2026 को उ0नि0 प्रशान्त सिंह मय पुलिस टीम क्षेत्र में देखभाल, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग एवं श्रीमान उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र आजमगढ़ द्वारा संचालित *ऑपरेशन वज्रपात* के अनुपालन में कस्बा सरायमीर में चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो संज्ञान में आया। जांच करने पर पाया गया कि अभिषेक सोनी पुत्र अनिल कुमार सेठ निवासी मोहल्ला ठठेरी बाजार, कस्बा व थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ द्वारा अपनी इंस्टाग्राम आईडी *abhishek_seth_59* पर कमर में डमी पिस्टल लगाकर पंजाबी गीत के साथ रील पोस्ट की गई थी। उक्त वीडियो के कारण आमजन में भय एवं अफवाह का वातावरण उत्पन्न हो रहा था तथा लोगों द्वारा आपत्ति व्यक्त की जा रही थी। शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से *ऑपरेशन वज्रपात* के तहत विधिक कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को समय करीब 16:20 बजे अंतर्गत धारा 170 बीएनएसएस में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त
• अभिषेक सोनी पुत्र अनिल कुमार सेठ निवासी मोहल्ला ठठेरी बाजार, कस्बा व थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी
• 01 डमी पिस्टल।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम
• उ0नि0 प्रशान्त सिंह मय पुलिस टीम, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 04.08.26 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 04 आरोपी अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय द्वारा हत्या के प्रयास के आरोप में 07-07 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को 11000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना सिधारी में पंजीकृत अपराध जिसमें हत्या के प्रयास, मारपीट, गाली गलौज व जान माल की धमकी के आरोप में 07-07 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को 11000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक- 03.11.2017 को वादी मुकदमा श्री रामकरन यादव पुत्र स्व0 बेचू यादव निवासी ग्राम पल्हनी धन्नी सरांय, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्तगण 1- विमलेश यादव पुत्र रामसकल यादव, 2- कमलेश यादव पुत्र रामसकल यादव, 3- कैलाश यदव पुत्र रामसकल यादव निवासीगण ग्राम पल्हनी धन्नी सरांय, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़ द्वारा आवादी की आवादी के जमीन विवाद को लेकर वादी तथा मकान मिस्त्री व मजदूर को गाली गलौज देते हुए मारना पीटना, अवैद्य शस्त्र से फायर करके हत्या का प्रयास करना।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना सिधारी पर मु0अ0सं0- 328/2017 धारा-307,323,504 भादवि पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 10 गवाह परीक्षित हुए है।

➡जिसके क्रम में दिनांक- 04.08.2026 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0-3 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1- विमलेश यादव पुत्र रामसकल यादव, 2- कमलेश यादव पुत्र रामसकल यादव, 3- कैलाश यदव पुत्र रामसकल यादव निवासीगण ग्राम पल्हनी धन्नी सरांय, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 07-07 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को 11000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक- 04.08.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अपहरण व शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी करार देते हुए अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 50,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना देवगांव में पंजीकृत अपराध जिसमें अपहरण व शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप मे अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 50,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक- 12.07.2022 को वादिनी/पींड़िता रेखा सरोज पुत्री राजेश सरोज ग्राम मोहनपुर पटवास, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त राहुल शर्मा पुत्र दूधनाथ उर्फ मुन्ना शर्मा निवासी ग्राम सोफीपुर, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी को लालगंज बाजार से जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर दिल्ली ले जाकर दुष्कर्म किया तथा वहां से फिर मुम्बई ले जाकर शादी का झांसा देकर करीब एक माह तक दुष्कर्म किया फिर शादी से इन्कार कर दिया।

➡ अभियुक्तो के विरूद्ध थाना देवगांव पर मु0अ0सं0-243/2022 धारा- 366,376,506 भादवि व 3 (1)घ, 3(2)5 SC/ST Act पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्तो के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमे उपरोक्त मे 9 गवाहो को परीक्षित कराया गया।

➡ जिसके क्रम में दिनांक- 04.08.2026 को मा0 न्यायालय Spl(J) SC/ST कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त राहुल शर्मा पुत्र दूधनाथ उर्फ मुन्ना शर्मा निवासी ग्राम सोफीपुर, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 50,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।